

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक : एफ.1(1)()स्था/आईसीडीएस/18/

116783

जयपुर, दिनांक : 27-6-2018

आदेश

निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारियों/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन (परियोजना)	नवीन पदस्थापन स्थान (परियोजना)	विशेष विवरण
1	श्री पृथ्वीपाल मीना	सहा. बाविपअ	परि. धौरीमन्ना (बाडमेर)	परि. धौरीमन्ना द्वितीय मु. गुढामलानी (बाडमेर)	बाविपअ के रिक्त पद के विरुद्ध
2	श्री जितेन्द्र मीना	सहा. बाविपअ	परि. भीम (राजसमन्द)	परि. कुम्भलगढ (राजसमन्द)	श्री राजेश शर्मा के स्थान पर बाविपअ के पद के विरुद्ध
3	श्री राजेश शर्मा	सहा. बाविपअ	परि. कुम्भलगढ (राजसमन्द)	परि. आमेट (राजसमन्द)	बाविपअ के रिक्त पद के विरुद्ध
4	श्री जुबेर चिश्ती	बाविपअ	परि. कोटडी (भीलवाडा)	परि. खमनौर (राजसमन्द)	रिक्त पद पर
5	श्रीमती राजेश	बाविपअ	परि. सरदारशहर ग्रामीण(चुरु) (स्थानान्तरणाधीन)	परि. नोखा द्वितीय मु. देशनोक (बीकानेर)	रिक्त पद पर
6	श्रीमती पुष्पा सिंह	बाविपअ	परि. आसीन्द (भीलवाडा)	परि. श्रीमाधोपुर (सीकर)	रिक्त पद पर
7	श्री ओम प्रकाश सैनी	बाविपअ	परि. भीलवाडा शहर	परि. टोंक ग्रामीण	रिक्त पद पर
8	श्री प्रदीप कुमार घिलोटिया	बाविपअ	परि. बानसूर (अलवर)	परि. कोटपुतली (जयपुर)	रिक्त पद पर
9	श्री मनोज चौधरी	सहा. बाविपअ	परि. जायल (नागौर)	परि. लक्ष्मणगढ (सीकर)	रिक्त पद पर

साथ ही विभागीय स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 92394 दिनांक 25-5-2018 के क्रम संख्या 17 पर श्री सिकरामाराम चोयल, बाविपअ का परियोजना लाडनू (नागौर) से परियोजना रतनगढ (चुरु) तथा क्रम संख्या 27 पर श्री बंटी कुमार बालोटिया, बाविपअ का परियोजना निवाई (टोंक) से सहायक निदेशक (आईईसी) मुख्यालय जयपुर के पद पर किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश को कार्यमुक्ति आदेश मानते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।




निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (2) निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (3) निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
- (4) जिला कलक्टर
- (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
- (6) निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
- (7) सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
- (8) बाल विकास परियोजना अधिकारी
- (9) सम्बन्धित श्री/श्रीमती/सुश्री
- (10) आदेश पत्रावली।


उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर